राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 371/2024
उनवान : हंसकंवर बनाम मरुधरकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 54 राज. भू–राजस्व अधिनियम,1956

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली, राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 371/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/473

| प्रार्थी :– | | अप्रार्थी :– |
|---|---|---|
| हंसकंवर पत्नी स्व. गजेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी गलथनी बहैसियत माता एवं कुदरती वलीया धमेन्द्रसिंह उर्फ करणसिंह पुत्र स्व. गजेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत (नाबालिग) निवासी गलथनी तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. | बनाम | 1. मरुधरकंवर पत्नि स्व. भूपेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गलथनी तहसील सुमेरपुर<br>2. प्रियदर्शनसिंह देवड़ा पुत्र स्व. भूपेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गलथनी तहसील सुमेरपुर<br>3. तहसीलदार महोदय सुमेरपुर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत न्यायालय तहसीलदार महोदय सुमेरपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 17/2022 अन्तर्गत धारा 135(2) आर.एल.आर. एक्ट प्रार्थीया हंसकंवर बनाम सरकार वगैरा को अन्य न्यायालय में अन्तरण करने बाबत्।**

**उपस्थिति :–**

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 01 एव 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह देवड़ा।

## –:निर्णय:–

दिनांक: 13.01.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 17/2022 अन्तर्गत धारा 135(2) आर.एल.आर. एक्ट प्रार्थीया हंसकंवर बनाम सरकार वगैरा को अन्य न्यायालय में अन्तरण करवाने बाबत् पेश किया।

प्रार्थना पत्र अनुसार यह कि न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर के न्यायालय में प्रार्थीया ने एक आवेदन पेश किया था कि प्रार्थीया के नाबालिग पुत्र धमेन्द्रसिंह उर्फ करणसिंह के पक्ष में सोहनसिंह देवड़ा द्वारा दिनांक 11.05.2021 को पंजीबद्ध वसीयत निष्पादित की थीं। सोहनसिंह का दिनांक 13.07.2022 को देहान्त हो चुका है। वसीयत में वर्णित सम्पति स्वर्जित सम्पति है इसलिए माफिक वसीयत मृतक सोहनसिंह के स्थान पर धर्मेन्द्रसिंह उर्फ करणसिंह का नाम प्रार्थीया हंसकंवर (माता) के जरिये ग्राम कोलीवाडा के खसरा नम्बर 448, 449, 450 का इन्द्राज किया जावे। उपरोक्त आवेदन को धारा 135 (2) आर.एल.आर. में दर्ज किया गया एवं पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई तथा वसीयत के गवाहो को नोटीस जारी करने का आदेश दिनांक 04.08.2022 को पारित किया गया। पेशी दिनांक 30.08.2022 को प्रार्थीया व गवाहान के साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश किया जिन्हे शा.मि. किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 30.08.2022 को दैनिक अखबार में सार्वजनिक सूचना जारी करने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर आवेदन के साथ अपंजीकृत वसीयतनामा की फोटो प्रति पेश की जिस पर अधिन न्यायालय द्वारा गवाहो को नोटिस जारी करने बाबत् आदेश पारित

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 371/2024
उनवान : हंसकंवर बनाम मरुधरकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 54 राज. भू–राजस्व अधिनियम,1956

किया गया। अधिन न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2022 पेश किया था कि मृतक सोहनसिंहजी का फौतेदगी म्यूटेशन भरा जावे तथा भूपेन्द्रसिंह के वारीसान के नाम 1/2 तथा गजेन्द्रपालसिंह के वारीसान के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। तत्पश्चात अर्थात दिनांक 21/10/2022 से अधिन न्यायालय मे पत्रावली में जानबूझकर अग्रिम कोई कार्यवाही नही की जा रही है अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अधिन न्यायालय को विधिनुसार किसी प्रकार की जांच करने एवं उसके आधार पर म्यूटेशन दायर करने की अधिकारिता नहीं होने के बावजुद प्रकरण को अदृश्य कारणो से लंबित कर रखा है जबकि प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र एवं गवाहन के शपथ पत्र काफी समय पूर्व पेश कर रख है। प्रार्थीया के नाबालिग पुत्र के पक्ष में वसीयत पंजीबद्ध है तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में भूमि स्वर्जित प्रमाणित माना गया है फिर भी प्रकरण को निर्णित नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक पेशी पर प्रार्थीया की ओर से प्रकरण निर्णित करने हेतु निवेदन किया जाता है लेकिन पीठासीन अधिकारी जानबुझकर अवैध उदेश्य की पूर्ति नहीं होने पर प्रकरण को विलम्बित किया जा रहा है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमावे तथा श्रीमान् तहसीलदार महोदया सुमेरपुर के न्यायालय मे लम्बित प्रकरण संख्या 17/2022 अन्तर्गत धारा 135 (2) आर एल आर एक्ट प्रार्थीया हंसकवर बनाम सरकार वगैरा को अन्य न्यायालय तहसीलदार महोदय बाली/देसूरी में अन्तरण करने तथा उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने बाबत् आदेश पारित फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह देवड़ा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर के न्यायालय में लम्बित राजस्व प्रकरण संख्या 17/2022 अन्तर्गत धारा 135(2) आर. एल.आर. एक्ट को अन्यत्र तहसीलदार न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 सहमत है।

अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार सुमेरपुर ने जरिए पत्रांक/भू.अ./2024/1377 दिनांक 21.08.2024 जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सत्यता नहीं है किन्तु तहसीलदार सुमेरपुर ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर गौर फरमाते हुए प्रकरण सुनवाई हेतु अन्य प्राधिकारी को हस्तान्तरित किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

बहस के दौरान अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपने लिखित कथनों को दोहराया तथा एकराय में प्रकरण संख्या 17/2022 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर से अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया। बहस के दौरान तहसीलदार सुमेरपुर की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 17/2022 (u/s 135(2) RLR Act) को उक्त अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानान्तर्गत किसी अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है तथा स्थानान्तरित करने का आधार यह अंकित किया किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण को जानबुझकर विलम्बित रखा जाकर निर्णीत नहीं किया जा रहा है तथा यह भी जाहिर किया है कि पीठासीन अधिकारी एवं अप्रार्थीगण की मिलीभगत होने से प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 371/2024**

**उनवान : हंसकंवर बनाम मरुधरकंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 54 राज. भू–राजस्व अधिनियम,1956**

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 17/2022 की आदेशिका का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 04.08.2022 को दर्ज होकर गवाहों की तलबी, समाचार पत्र में इश्तिहार प्रकाशन तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति ग्रहण करने तक अर्थात दिनांक 30.09.2022 तक नियमित कार्यवाही अधीन रहा। किन्तु 30.09.2022 के बाद से पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही प्रभाव में नहीं लाई गई तथा अन्तिम रुप से निर्णीत किये जाने के स्थान पर मात्र तारीख/पेशीयॉ आगे बढ़ाई गई। इससे प्रार्थीया का यह कथन सत्य सिद्ध होता है कि प्रकरण के निस्तारण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत दायर प्रकरण संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही (Summary Trial Cases) से निस्तारण किये जाने चाहिए ऐसे प्रकरणों को बिना किसी वैधानिक आधार के दो वर्षो तक लम्बित रखना पक्षकारों के हितों तथा 'सुलभ न्याय' के सिद्धान्तों के प्रतिकुल है। यद्यपि प्रार्थीगण यह आरोप साबित करने में असफल रहे है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तथा अप्रार्थीगण में मिलीभगत है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर में प्रकरण संख्या 17/2022 के निस्तारण में अकारण विलम्ब, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु दी गई सहमति तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उक्त हेतु जाहिर की गई अनापति के दृष्टिगत यह सर्वथा न्यायोचित है कि न्यायालय तहसीलदार सुमेरपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 17/2022 अन्तर्गत धारा 135(2) आर.एल.आर. एक्ट को न्यायालय तहसीलदार बाली को सुनवाई एवं अन्तिम विनिश्चय हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश दिए जाते है। साथ ही, तहसीलदार बाली को यह भी निर्देश दिए जाते है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की अक्षरक्षः पालना करते हुए प्रकरण का त्वरित एवं न्यायपूर्ण निस्तारण करें।

**तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिए जाते है कि निर्णय की प्रति की प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर प्रकरण संख्या 17/2022 की मूल पत्रावली न्यायालय तहसीलदार, बाली को अग्रिम सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।**

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली
दिनांक :

क्रमांक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, सुमेरपुर।
2. तहसीलदार, बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली